मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 21, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 61 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(वन परिक्षेत्रों में मनरेगा अंतर्गत कार्यों में अनियमितता विषयक प्रश्न संख्या-13 (क्रमांक 54) पर सर्वश्री सुखदेव पांसे एवं बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के नागदा में बंद के कारण निर्दोषों को पुलिस द्वारा परेशान करने,

(2) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य ने तेंदूखेड़ा के ग्रामों में बीज का प्रदाय न होने,

(3) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने परसवाड़ा के ग्रामों में हाई स्कूल खोले जाने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मन्दसौर में चार पहिया वाहनों पर समन शुल्क लगाये जाने,

(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार में फर्जी कार्रवाई होने,

(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने इटारसी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग ओबेदुल्लागंज-नागपुर मार्ग के जर्जर होने,

(7) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य ने रायसेन के ग्राम गढ़ी में मुरम का उत्खनन किये जाने तथा

(8) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने संविदा शिक्षक वर्ग-3 पद हेतु बी.एड. अर्हता को मान्य कर नियमितीकरण करने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन, पटल पर रखे।

(2) श्री गोपाल भार्गव,सामाजिक न्याय मंत्री ने आयुक्त,निःशक्तजन,म.प्र. का वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा,आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2005-06 पटल पर रखा।

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, के.पी. सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र सिंह राठौर, तुलसीराम सिलावट, रामलखन सिंह, सदस्यगण तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में गेहूं खरीदी में अनियमितता एवं भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्य के नेतृत्व में ब.स.पा. के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, ध्यानाकर्षण क्र. (2) पर कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।)

(2) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता एवं तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण ने इंदौर शहर के बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन की उपयुक्त व्यवस्था न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 1.08 से 2.39 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 229-नीमच के सदस्य, श्री खुमान सिंह शिवाजी को विधान सभा के वर्तमान सत्र जुलाई, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर नगर के -

(क) वार्ड क्रमांक-4 मेवाती मोहल्ले के बहोड़ापुर में मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) वार्ड क्रमांक-5 के अकबरपुर पहाड़ी क्षेत्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(ग) वार्ड क्रमांक-5 शील नगर से अम्बेडकर पार्क तक मार्ग निर्माण किये जाने एवं

(घ) वार्ड क्रमांक-5 शील नगर से अम्बेडकर पार्क की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने तथा

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम किशनपुर को आर.बी.सी. नहर से जोड़े जाने,

(ख) ग्राम प्राणपुरा के बांदिया नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम नया विनेगा पंचायत काली पहाड़ी के आदिवासियों की कृषि भूमि हेतु सिंचाई की व्यवस्था किये जाने,

(घ) नरवर करैरा मार्ग से मौजपुर श्यामपुर नया विनेगा तक मार्ग निर्माण किये जाने तथा

(ङ) ग्राम सिलानगर के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की गईं।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह
(6) श्री मदन कुशवाह
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) श्री राजकुमार उरमलिया
(10) श्री श्रीकांत दुबे
(11) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(12) श्री जेबियर मेड़ा
(13) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(14) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(15) श्री शंकरलाल तिवारी
(16) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(17) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(18) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी (भाषण एवं चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 22, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 जुलाई, 2011